

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

मा	गोपाल	विपक्षी	512	सन्	
	व(1)	पत्रावली संख्या	5210		
कार्यवाही विवरण			हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई		

15/3/21

आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुसंध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/4/21 को पेश हों।

26/4/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसियेशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 2/8/21 को पेश हों।

2/8/21

पत्रावली आज पेश हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बार एसोसियेशन द्वारा अतिआवश्यक प्रकृति के पत्रावली में ही सुनवाई करने के प्रार्थना पत्र देने के कारण आज इस पत्रावली में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 2/8/21 को पेश हों।

SDO मावली

22/11/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 23/2/22 को पेश हों।

21/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेसपो उपस्थित/पीठारीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 2/5/22 को पेश हों।

2/5/22

11/4/22

पत्रावली तालब की गई। 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प-... को पेश हों।

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली



21/4/22
पत्रावली आज कोर्ट में पेश हुई।
प्रकरण में पत्रावली के मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-22/8/22 को
पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली

21/9/22

सुनाने वाले / प्रतिकर्ता चर्चा, 21/9/22
क लिये मौका चाहते हैं। अतः 21/9/22
श्वसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 15/9/22
को पेश हो।

SDO मावली

15/09/22

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी
द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया,
भा. का. रहे। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण
अनु., आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता मय वादीगण अनुपस्थित
रहने पर वादीगण का वाद अदम हजरी
अदम फौजी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली